CHAPTER - XVIII APPEALS AND REVISION

Section 107: Appeals to Appellate Authority

- (1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act by an adjudicating authority may appeal to such Appellate Authority as may be prescribed within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.
- (2) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of State tax or the Commissioner of Union territory tax, call for and examine the record of any proceedings in which an adjudicating authority has passed any decision or order under this Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said decision or order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Authority within six months from the date of communication of the said decision or order for the determination of such points arising out of the said decision or order as may be specified by the Commissioner in his order.
- (3) Where, in pursuance of an order under sub-section (2), the authorised officer makes an application to the Appellate Authority, such application shall be dealt with by the Appellate Authority as if it were an appeal made against the decision or order of the adjudicating authority and such authorised officer were an appellant and the provisions of this Act relating to appeals shall apply to such application.
- (4) The Appellate Authority may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months or six months, as the case may be, allow it to be presented within a further period of one month.
- (5) Every appeal under this section shall be in such form and shall be verified in such manner as may be prescribed.
- (6) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid—
 - (a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and
 - **(b)** a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order ¹[subject to a maximum of twenty-five crore rupees], in relation to which the appeal has been filed.

¹ Inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- ²[Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent. of the penalty has been paid by the appellant.]
- (7) Where the appellant has paid the amount under sub-section (6), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed.
- (8) The Appellate Authority shall give an opportunity to the appellant of being heard.
- (9) The Appellate Authority may, if sufficient cause is shown at any stage of hearing of an appeal, grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded in writing:
 - **Provided** that no such adjournment shall be granted more than three times to a party during hearing of the appeal.
- (10) The Appellate Authority may, at the time of hearing of an appeal, allow an appellant to add any ground of appeal not specified in the grounds of appeal, if it is satisfied that the omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.
- (11) The Appellate Authority shall, after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as it thinks just and proper, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against but shall not refer the case back to the adjudicating authority that passed the said decision or order:

Provided that an order enhancing any fee or penalty or fine in lieu of confiscation or confiscating goods of greater value or reducing the amount of refund or input tax credit shall not be passed unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order:

Provided further that where the Appellate Authority is of the opinion that any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, no order requiring the appellant to pay such tax or input tax credit shall be passed unless the appellant is given notice to show cause against the proposed order and the order is passed within the time limit specified under section 73 or section 74

- (12) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for such decision.
- (13) The Appellate Authority shall, where it is possible to do so, hear and decide every appeal within a period of one year from the date on which it is filed:

² Proviso inserted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- **Provided** that where the issuance of order is stayed by an order of a court or Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of one year.
- (14) On disposal of the appeal, the Appellate Authority shall communicate the order passed by it to the appellant, respondent and to the adjudicating authority.
- (15) A copy of the order passed by the Appellate Authority shall also be sent to the jurisdictional Commissioner or the authority designated by him in this behalf and the jurisdictional Commissioner of State tax or Commissioner of Union Territory Tax or an authority designated by him in this behalf.
- (16) Every order passed under this section shall, subject to the provisions of section 108 or section 113 or section 117 or section 118 be final and binding on the parties.

अध्याय 18 अपील और पुनरीक्षण

धारा 107: अपील प्राधिकरण को अपीलें

- (1) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो उस तारीख से, जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर किया जाए।
- (2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या राज्य कर आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा, जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए, जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं और जो आयुक्त द्वारा उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को अपील प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा।
- (3) जहां उपधारा (2) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पर इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे।
- (4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
- (5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए।
- (6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलकर्ता
 - (क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत होने वाले किसी कर, ब्याज, जुर्माने, फीस और शास्ति का पूर्ण या उसके ऐसे भाग का संदाय न कर दिया हो जिसे उसके द्वारा स्वीकार किया गया है; और
 - (ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में कर की बकाया रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि ¹[अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपए के अधीन रहते हुए] संदाय न कर दिया हो।

¹ सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

- ²[परन्तु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलाथी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।]
- (7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वस्ती कार्यवाहियां स्थिगत समझी जाएंगी।
- (8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।
- (9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है तो वह पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय मंजूर कर सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा : परन्तु यह कि अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को ऐसा कोई स्थगन तीन से अधिक बार नहीं दिया जाएगा।
- (10) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को उस समय अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था।
- (11) अपील प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात, जो आवश्यक हो, ऐसे विनिष्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उसे संतुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश करेगा, जो उचित और उपयुक्त समझे, किन्तु वह उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला वापस निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसे विनिश्चय या आदेश पारित किया था : परन्तु अधिहरण या अधिक मूल्य के माल के अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माने को बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या इनपुट कर प्रत्यय को घटाने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि जहां अपील प्राधिकारी की यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से उसका प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओ सूचना न दे दी गई हो और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है।

- (12) अपील का निपटारा करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और उसमें अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन होगा।
- (13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील की उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और उसका विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थिगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अविध, एक वर्ष की अविध की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

² वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा परंतुक अंत:स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

भाग—ा

- (14) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा।
- (15) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति, अधिकारिता वाले आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और राज्य कर अधिकारिता वाले आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।
- (16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

www.cggst.com